

प्रतकिल कब्ज़ा

प्रलिमिन्स के लिये:

भारतीय वधि आयोग, प्रतकिल कब्ज़ा, परसिमन अधनियिम, 1963, सर्वोच्च न्यायालय, हममूराबी संहति

मेन्स के लिये:

परसिमन अधनियिम, 1963 के प्रमुख प्रावधान, ऐतहासिक विकास और प्रतकिल कब्ज़े का कानूनी ढाँचा

चर्चा में क्यों?

22वें वधि आयोग की हालिया रिपोर्ट में प्रतकिल कब्ज़े और संपत्ति कानून में इसके प्रभाव की गहन जाँच की गई है तथा सफिरशि की गई है कि परसिमन अधनियिम, 1963 के तहत मौजूदा प्रावधानों में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

- प्रतकिल कब्ज़े की अवधारणा इस वधिार से उत्पन्न होती है कभूमि को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिये बल्कि इसका वविकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

प्रतकिल कब्ज़ा:

परचिय:

- प्रतकिल कब्ज़ा शतरुतापूर्ण, नरितर, नरिबाध और शांतपूर्ण कब्ज़े के माध्यम से संपत्ति के अधगिरहण को संदरभति करता है।
- इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही शंकाओं को रोकना है और किसी भू-मालकि द्वारा छोड़ी गई बेकार भूमि का उपयोग करने की अनुमति देकर समाज को लाभान्वति करना है।
 - यह उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने कब्ज़ा करने वाले को संपत्ति का वास्तविक स्वामी माना है।

ऐतहासिक विकास और कानूनी ढाँचा:

- ऐतहासिक आधार: "प्रतकिल कब्ज़ा पद" (Title by Adverse Possession) की अवधारणा 2000 ईसा पूर्व में हममूराबी संहति से चली आ रही है।
 - संपत्ति परसिमन अधनियिम, 1874 इंग्लैंड में सीमाओं के कानून के रूप में इसके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
- भारत का परचिय: सीमा कानून भारत में 1859 के अधनियिम XIV के माध्यम से पेश किया गया था और वर्ष 1963 में सीमा अधनियिम के अधनियिमन के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

सीमा अधनियिम, 1963 के प्रमुख प्रावधान:

- बर्डन ऑफ प्रूफ: 1963 के अधनियिम ने प्रतकिल कब्ज़े के बर्डन ऑफ प्रूफ को दावेदार पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वास्तविक मालकि की स्थिति मज़बूत हो गई।
- स्वामित्व का अधगिरहण: लमिटिशन एक्ट, 1963 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 12 वर्ष से अधिक समय से नज्जी ज़मीन या 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी ज़मीन है, वह उस संपत्ति का मालकि बन सकता है।
 - प्रतकिल कब्ज़े का दावा करने हेतु कब्ज़े को आवश्यक वैधानिक अवधि के लिये खुला, नरितर और वास्तविक मालकि के अधिकारों के प्रतकिल होना चाहिये।

प्रतकिल कब्ज़े की मुख्य सामग्री:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम भारत सरकार के मामले में प्रतकिल कब्ज़े को साबित करने के लिये आवश्यक तत्त्वों को रेखांकित किया।
 - दावेदारों को कब्ज़े की तारीख, कब्ज़े की प्रकृति, वास्तविक मालकि द्वारा कब्ज़े के बारे में जागरूकता, कब्ज़े की नरितरता और यह कि कब्ज़ा पारदर्शी या खुला तथा अबाधति था, स्थापति करना चाहिये।
 - वर्ष 1981 में कषतिजि चंद्र बोस बनाम रांची के आयुक्त के फैसले में शीर्ष अदालत ने खुलेपन और नरितरता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया।

आलोचना और सफिरशें:

- वर्तमान कानून की आलोचना: हेमाजी वाघाजी जाट बनाम भीखाभाई खेंगरभाई हरजिन और अन्य के वर्ष 2008 के मामले

में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतकिल कब्जे की आलोचना करते हुए कहा कि यह वास्तविक मालिक पर अनुचित रूप से कठोर है और बेईमान अपराधियों को लाभ पहुँचाता है।

- न्यायालय ने प्रतकिल कब्जे पर एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को जानते हुए सरकार से **कानून पर पुनर्विचार और इसमें संशोधन करने का आग्रह** किया।
- **वधिआयोग का संदर्भ:** न्यायालय की सफ़ारिश के जवाब में **कानून तथा न्याय मंत्रालय** ने वर्ष 2008 में इस मामले को जाँच और बाद की रिपोर्ट के लिये वधिआयोग को भेज दिया था।

प्रतकिल कब्जे के विरुद्ध तरक:

- **झूठे दावों को बढ़ावा देना है:** प्रतकिल कब्जा **झूठे दावों को बढ़ावा देता है** और न्यायिक प्रणाली पर परहार्य मुकदमेबाज़ी का बोझ डालता है।
- **सहमति का अभाव:** प्रतकिल कब्जा किसी को वास्तविक मालिक की सहमति या जानकारी के बिना संपत्ति अर्जति करने की अनुमति देता है।
 - इसे अनुचित और अनैतिक माना जाता है क्योंकि यह मालिक के अधिकारों की अवहेलना करता है तथा उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में नरिणय लेने के अवसर से वंचित करता है।
- **असमान परिणाम:** प्रतकिल कब्जे के अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, **विशेषकर जब वास्तविक मालिक प्रतकिल कब्जे के मालिक से अनजान हो।**
 - वास्तविक मालिक को अचानक पता चल सकता है कि उनकी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ले ली गई जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का नुकसान और सामान्यतः भावनात्मक संकट उत्पन्न होता है।

भारत का वधिआयोग:

- भारत का वधिआयोग एक **गैर-सांविधिक निकाय** है जिससे भारत सरकार द्वारा **समय-समय पर कानूनी शोध करने के स्पष्ट जनादेश के साथ स्थापति** किया जाता है।
 - यह **वधि और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य** करता है।
 - **स्वतंत्र भारत का पहला वधिआयोग वर्ष 1955 में तीन वर्ष के कार्यकाल** के लिये स्थापति किया गया था।
- **भारत के वधिआयोग** ने नागरिक कानून, अपराधिक कानून, संवैधानिक कानून, परिवार कानून, व्यक्तिगत कानून, पर्यावरण कानून, मानवाधिकार कानून आदि से लेकर विभिन्न विषयों पर **अब तक 277 रिपोर्ट जारी की हैं।**
- यह आयोग वर्तमान में अपने 22वें कार्यकाल में है और इसके अध्यक्ष **न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी** (कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस